ग्राम पंचायत बाड़ियाँ, विकास खण्ड धर्मपुर, ज़िला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024

भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बाड़ियाँ, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला सोलन के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति रंजना देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री बलराज कुमार	01.04.2022 से 22.08.2022
2.	श्री धर्मपाल	23.08.2022 से 07.10.2022
3.	श्री बलराज कुमार	08.10.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत बाड़ियाँ के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	0.12
2	4.3	रोकड़ बहियों में फर्जी प्रविष्टियाँ पाई जाना	2.47
3	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	44.84
4	7.1	गृहकर की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.47
5	8.1	स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवाये बिना ही व्यय करना	0.07
6	8.2	निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश व मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना करना	92.72
7	8.3	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राजस्व की संभावित वित्तीय हानि	0.59
8	8.4	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	14.05
9	8.5	एक ही बिल का दोहरा भुगतान करना	0.27
10	8.6	निर्माण कार्यों का समग्री के मूल्यांकन (Assessment) के अभाव मे केवल चयनित माह के बिलों के भुगतान की	29.87

		पुष्टि न कर पाना	
11	9.1	केवल चयनित माह के बिलों के भुगतान वास्तविक / मूल बिल के बिना करना	0.18
12	11.1	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	0.90
13	12	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करना	0.11
14	14.1	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली ना करना	0.04
15	14.2	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करना	0.05
16	14.3	विवाह पंजीकरण शुल्क को बैंक में जमा व रोकड़ बही में लेखांकन न करना	0.02

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत बाड़ियाँ, विकास खण्ड धर्मपुर, ज़िला सोलन के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम वर्तमान अंकेक्षण श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15.07.2024 से 23.07.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	03/2023	09/2022
2023-24	03/2024	06/2023

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):-</u> *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 13/2024/बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 148/2024 GP बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण शुल्क की राशि को ग्राम पंचायत की बैठक में पारित करके शीघ्र ही बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेज दिया जाएगा।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 09/2024 दिनांक 15.07.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क "** में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹) (कालम 2+3)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹) (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1415594.64	293860.36	1709455.00	176605.74	1532849.26
2023-24	1532849.26	165929.46	1698778.72	107734.20	1591044.52

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹) (कालम 2+3)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹) (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	4149592.21	8997221.30	13146813.51	7568033.21	5578780.30
2023-24	5578780.30	4743505.46	10322285.76	5838448.86	4483836.90

कुल योग (1+2) = 1591044.52 + 4483836.90 +985.29 (नगद शेष)= **6075866.71**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के तथा बैंक खातों में राशि के अन्तशेष **₹6087506.15 (परिशिष्ट -"ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि / SF, 4TH SFC, RAYEAAY	जोगिंद्रा सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक	100734029000128	1188160.42

2	CRF, MMGPY, 4TH SFC, 5TH SFC, VKVNY, LDP, VMJS , MPLADS, IAY, SBM, SCSP, NRHM, SDP, 13TH FC, 14TH FC & सभा निधि / SF	पंजाब नेशनल बैंक, पटटा मेहलोग	2955000100008480	1850143.5
3	SBM	पंजाब नेशनल बैंक, पटटा मेहलोग	2955000100077121	0.00
4	CSC/RGSA	पंजाब नेशनल बैंक, पटटा मेहलोग	2955000100081799	24162.39
5	PMKSY	पंजाब नेशनल बैंक, पटटा मेहलोग	2955000100084130	5402.00
6	14वां वित्तायोग / 14FC	पंजाब नेशनल बैंक, पटटा मेहलोग	2955000100077130	106156.76
7	15वां वित्तायोग / 15FC	पंजाब नेशनल बैंक, पटटा मेहलोग	2955000100077149	2913480.99
			जोड़	**6087506.15**

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	**6087506.15**
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	**6075866.71**
अंतर :-	**11639.44**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.12 लाख का अन्तर पाया जाना:-

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को **₹11,639.44** की राशि का अन्तर पाया गया। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 151/2024 GP बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार व अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारेः -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता-क खोल जाएगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण खाता-ख खोल जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी आय (स्वः-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वः-स्त्रोत, 4था वित्त, 5वां वित्त, सि० आर० एफ़०, एम० एम० जि० पि० वाई०, वि० के० वि० एन० वाई०, एल०डी०पी०, वि० एम० जे० एस०, एम० पि० एल० ए० डी०, आई० ऐ० वाई०, एस० बि०

एम०, एस० सि० एस० पि०, एन० आर० एच० एम०, एस० डी० पी०, आर०ऐ०वाई०ई०ऐ०ऐ०वाई०, 13वां वित्त व 14वां वित्त शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों के लिये नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध एक ही बैंक खाते का उपयोग किया जा रहा है, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त कुछ अनुदानों के लिये एक से अधिक खाते का उपयोग किया जा रहा है जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/बाड़ियाँ दिनांक 20.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GP बाड़ियाँ-144/2024 दिनांक 23.07.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में नियमानुसार खाता "क" व "ख" को पृथक कर लिया जाएगा व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता के बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व खाता "क" व "ख" को पृथक करना सुनिश्चित किया जाए और स्वः-स्त्रोत, 4था राज्य वित्त आयोग, 5वां राज्य वित्त आयोग, सि० आर० एफ़०, मुख्यामंत्री ग्राम पथ योजना, विधायक के क्षेत्रीय विकास निधि योजना, लोकल एरिया डेवलपमेंट प्लान, विकास में जन सहयोग, मेंबर ऑफ़ पार्लेमेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इंद्रा आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, एस० सि० एस० पि०, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, सेक्टोरल डीसेंट्रालाईज प्लानिंग, राजीव आवास योजना एरस्टव्हील अटल आवास योजना, 13वां वित्त व 14वां वित्त अनुदान का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 रोकड़ बहियों तथा पास बुक में राशि ₹2.47 लाख का अन्तर पाया जानाः -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **10** के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रतः प्रविष्ट किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई जाएंगी।

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित विवरण अनुसार विभिन्न रोकड़ बहियों में दर्ज आय व्यय की प्रविष्टियाँ पाई गई जिनका संबंधित बैंक खातों की पासबुकों से मिलान उपरांत कोई लेन-देन दर्ज नहीं था जिस कारण उक्त प्रविष्टियों को न्याय संगत ठहराया जाना अपेक्षित है, का औचित्य स्पष्ट नहीं होता है।

(i) आय

अनुदान	क्रम संख्या	दिनांक	रोकड़ बही वॉचर संख्या	विवरण रोकड़ बही अनुसार	राशि (₹)	टिप्पणी
SBM	1	09/09/2022	SBM/2022-23/C/2	Amount transfer from SBM to Sabha Fund	97000.00	Amount not reflecting in pass book @ income side
	2	09/09/2022	SBM/2022-23/C/3	Amount transfer from SBM to Sabha Fund	149665.82	
				कुल	**246665.82**	

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/बाड़ियाँ दिनांक 20.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GP बाड़ियाँ -149/2024 दिनांक 23.07.2024 द्वारा उत्तर दिया गया की केवल online रोकड़ बही (ई ग्राम स्वराज रोकड़ बही) से बैंक खातों के अंतशेष के मिलान हेतु केवल ट्रांसफर एंटरी ली गई है जो की दोनों ओर घटा दी गई है , जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।

अत: इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर रोकड़ बहियों की जांच की जाये व वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

4.4 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय तथा व्यय के लिये दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिये एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन-देन के लिये अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिये प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी सरकारी समय की बरबादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिये नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.5 लेखा खाता /खाता बही (Account Ledgers) तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि लेखा खाते/ खाता बहियाँ तैयार नहीं किये गए थे जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 (क्रमाक संख्या 5) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 151/2024- GP बाड़ियाँ

दिनांक 23.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही को आगामी वित्त वर्ष से संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31.03.2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्व:-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 (क्रमाक संख्या 3) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 151/2024-GP बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत बैठक मे विचार विमर्श उपरान्त की गई आवश्यक कार्यवाही बारे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹44.84 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 09/2024 दिनांक 15.07.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क " व परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹** 44,83,836.90 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। उक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 (क्रमांक संख्या 2) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 151/2024- GP बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7. पंचायत राजस्व

7.1 गृहकर की राशि ₹1.47 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34 (2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान ₹100 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹1,47,770.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी। गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण प्रारूप - 10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का पता लगाया जा सके। गृहकर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/बाड़ियाँ दिनांक 15.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GP बाड़ियाँ -136/2024 दिनांक 20.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इतना अधिक पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र नियमित वसूली हेतु वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वसूली हेतु शेष गृहकर राशि का विवरण :-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवारों	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	60,500.00	715	100/-	71,500.00	1,32,000.00	0.00	1,32,000.00
2023-24	1,32,000.00	725	100/-	72,500.00	2,04,500.00	57,500.00	1,47,700.00

8. व्यय

8.1 स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹0.07 लाख के व्यय करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते} नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार, पंचायत को सभी प्राप्तियों को प्रथमतः बैंक खाते में जमा तथा तदोपरान्त सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड बही, बैंक पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना सीधे ही निम्न विवरण अनुसार **₹6,907.00** का व्यय किया गया था जिसका विवरण **परिशिष्ट " घ "** पर संलग्न है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, अपितु आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत के स्व:-स्त्रोतों की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/बाड़ियाँ दिनांक 16.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 138/2024-GP बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को इस सम्बन्धित जानकारी के आभाव के कारण हुआ है तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती को नही दोहराया जायेगा ।

अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.2 राशि ₹92.72 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, फंड ट्रान्सफर आर्डर व मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कनिष्ठ अभियंता स्तर व तकनीकी सहायक के स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति व मापन पुस्तिका अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जिसका विवरण **परिशिष्ट " ङ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 (क्रमांक संख्या 16) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करने को कहा गया था, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 151/2024-GP बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि कार्य अभी पूर्ण नही हुए हैं व सके सम्बन्धित दस्तावेज़ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (III) की अनुपालना सहित उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.3 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹0.59 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। इसके अलावा निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/2024192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 अनुसार **खनन सामग्री के क्रय हेतु भुगतान केवल आपूर्तिकर्ता द्वारा वैध ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाने के उपरांत किया जाएगा।**

अंकेक्षण के दौरान व्यय चयनित माह 09/2022 व 06/2023 के बिल एवं वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए व आपूर्तिकर्ता द्वारा वैध ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध न करवाने के बावजूद संबंधित बिल/वाउचरों का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया गया जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप राज्य सरकार को **परिशिष्ट - " च "** पर संलग्न विवरणानुसार रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व राशि **₹58,932.00** की संभावित वित्तीय हानि प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 (क्रमांक संख्या 10) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 151/2024-GP बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव के खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) सुनिश्चित नहीं किया गया व आपूर्तिकर्ता से ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे अथवा राशि **₹58,932.00** की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः आपूर्तिकर्ता से वैध ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना खनन सामग्री के बिल/वाउचरों का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये तथा राज्य सरकार को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होने वाली राशि **₹58,932.00** के संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Nonferrous mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए व इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना केवल चयनित माह 09/2022 व 06/2023 मे ही ₹ 14.05 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4),67(5),69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकताओं तथा निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 09/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹ 14,05,436** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/बाड़ियाँ दिनांक 22.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 150/2024- GP बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा बताया गया की सम्बन्धित अनियमितताओं की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अतः इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.5 एक ही बिल का दोहरा भुगतान करने के कारण ग्राम पंचायत निधि से ₹0.27 लाख का अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों की नमूना पड़ताल पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मैसर्ज आर टी सी ट्रेडर कम्पनी को बिल संख्या 121 दिनांक 02.06.2023 की एवज़ में दिनांक 19.06.2023 को ₹27142/- का भुगतान किया गया था, जाँच में आगे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा इसी बिल का पुनः भुगतान दिनांक 19.06.2023 को वर्णित फर्म को फिर से ₹27142/- का भुगतान किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट " ज "** में दिया गया है, जिस कारण एक ही बिल का दो बार भुगतान किया गया तथा ग्राम पंचायत 15 वाँ वित्त आयोग से ₹27142/- का अधिक भुगतान हुआ है, जोकि ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की संदिग्ध कार्यप्रणाली को परिलक्षित करती है, तथा ग्राम पंचायत स्तर पर इस तरह के भुगतान के अन्य मामलों के होने ही संभावना को भी स्वतः उजागर करती है। अतः एक ही बिल का दोहरा भुगतान करने बारे पूर्ण वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	बिल संख्या व दिनांक	वाउचर संख्या व दिनांक	भुगतान की गई राशि (₹)
1	M/s RTC Traders	121/ 02.06.2023	XVFC/2023-24/P/15 – 19.06.2023	27142
2		121/ 02.06.2023	XVFC/2023-24/P/19 – 19.06.2023	27142

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 12/2024/बाड़ियाँ दिनांक: 23.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बाड़ियाँ को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: GP बाड़ियाँ- 149/2024 दिनांक: 23.07.2024 द्वारा सूचित किया गया कि सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से राशि ₹ 27,142/- की वसूली की जा चुकी है, परंतु 15 वाँ वित्त आयोग में रिकवरी को Online रोकड़ बही में इन्द्रज करने का Module न होने के कारण उपरोक्त राशि का इन्द्राज नही किया गया है, इस सन्दर्भ में सुनिश्चित कार्य करके, इन्द्राज कर दिया जायेगा व आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर किया जायेगा।

अत: एक ही बिल को दो बारे भुगतान हेतु पारित करके किये गये दोहरे भुगतान का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं भविष्य में इस तरह के मामलों को न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.6 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु आपूर्तिकर्ता को निविदा में अंकित दर से अधिक दर का भुगतान के कारण ₹0.01 लाख का अपेक्षाकृत अधिक भुगतान बारे :-

विभिन्न निर्माण कार्यों की जांच के दौरान पाया गया कि आपूर्तिकर्ता को निविदा में अंकित दर से अधिक दर का भुगतान के कारण ₹1100 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट " ज "** में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 के क्रम स० 6 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में क्रमांक संख्या 151/2024-GP बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि निविदा में अंकित दर से अधिक भुगतान गलती से कर दिया गया है जिसको सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से वसूली करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर किया जायेगा।

अतः उक्त निर्माण कार्यों निविदा में अंकित दर से अधिक दर के भुगतान को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.1 केवल चयनित माह में ₹0.18 लाख की राशि के बिलों के भुगतान वास्तविक / मूल बिल के बिना करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 6 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार लेखों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा बिल / वाउचर का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था। लेखों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹18,361 की राशि के सलग्न बिलों के विवरण अनुसार सीमेंट हेतु भुगतान बिना बिलों के किये गये थे, जिसका विवरण परिशिष्ट **"झ"** पर सलग्न है, तथा अंकेक्षण की समाप्ति तक भी वास्तविक बिल / वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किये गये जो कि एक गम्भीर वितीय अनियमितत है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्युत्तर में क्रमांक 151/2024-GP बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायगी, उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त व्यय की गई राशि के वास्तविक बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाए तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

9.2 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति / पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना : -

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नही हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उद्देश्य/ कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं । चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता ही जो की अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

10. विविध अनियमितताएं :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है। परन्तु जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11.1 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹ 0.90 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 09/2022 व 06/2023 के वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा **₹ 89,687.00** के भण्डार को भंडार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ञ"** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 151/2024- GP बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया समय के अभाव के कारण स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है व इसे लेखांकित कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रतिउत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अत :क्रय किये गये सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

11.2 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल

विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 151/2024-GP बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। उत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.11 लाख की वसूली न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत बाड़ियाँ द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचना व व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में फर्म के बिलों से स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 10,945.20 की राशि का स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ट "** में दिया गया है। आयकर की धारा 194(c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा ₹10,945.20 की स्रोत पर आयकर की कटौती ना करने पर सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 151/2024-GP बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि संबन्धित कंपनी (वेंडर) से शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

13.1 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.04 लाख की अंकेक्षण के दौरान वसूली बारे : -

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹3749.00** की वसूली नहीं की गई थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ठ"** में सलग्न है। जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/बाड़ियाँ दिनांक 19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 142/2024-GP बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त राशि को वसूली करके आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अंकेक्षण के दौरान उक्त वसूली करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये अवलोकन उपरांत पुष्टि कर ली गई है व परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये और विवाह पंजीकरण के समय ही शुल्क वसूली सुनिश्चित की जाये।

13.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹0.05 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे : -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है तथा जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई कुल राशि **₹ 5,453.00** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/बाड़ियाँ दिनांक 19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 142/2024-GP बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.02 लाख को बैंक में जमा व रोकड़ बही में लेखांकन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को सम्बंधित बैंक खातों में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि **₹2301.00** का लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया और न ही बैंक में जमा किया गया, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ड "** में सलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/बाड़ियाँ दिनांक 19.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 142/2024-GP-बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क को बैंक में शीघ्र जमा करवा के रोकड़ बही में इन्द्राज करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि को बैंक में जमा कर इसका इन्द्राज रोकड़ बही में करना सुनिश्चित करते हुए भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रीमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103
8.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
9.	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
10.	बजट प्राक्कलन	11	37
11.	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	-----	31

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/बाड़ियाँ दिनांक 20.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 145/2024-GP बाड़ियाँ दिनांक 23.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

16. **निष्कर्ष** :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

24.9.24
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2626670

4573- 4577 का०/प्रति 24 SEP 2024

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (4) 61/2024 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला सोलन हि0प्र0।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बाड़ियाँ, विकास खण्ड धर्मपुर जिला सोलन (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

24 SEP 2024

24.9.24
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
का०/प्रति
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2626670

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP BADIAN FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1415594.64	293860.36	1709455.00	176605.74	1532849.26
2023-24	1532849.26	165929.46	1698778.72	107734.20	1591044.52

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	4149592.21	8997221.30	13146813.51	7568033.21	5578780.30
2023-24	5578780.30	4743505.46	10322285.76	5838448.86	4483836.90

(BALRAJ KUMAR)

सचिव
ग्राम पंचायत बाड़िया
विकास खण्ड धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र.)

पंजीकरण ...

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP BADIAN FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	4TH STATE	2022-23	105678.00	0.00	105678.00	0.00	105678.00
		2023-24	105678.00	0.00	105678.00	0.00	105678.00
2	5TH STATE	2022-23	258071.66	562838.00	820909.66	638730.00	182179.66
		2023-24	182179.66	527588.00	709767.66	572861.00	136906.66
3	IAY	2022-23	44257	0.00	44257.00	0.00	44257.00
		2023-24	44257.00	0.00	44257.00	0.00	44257.00
4	CRF	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	655000.00	655000.00	501853.00	153147.00
5	MPLADS	2022-23	25296.60	0.00	25296.60	0.00	25296.60
		2023-24	25296.60	0.00	25296.60	0.00	25296.60
8	SBM	2022-23	263042.30	1077360.34	1340402.64	1159327.34	181075.30
		2023-24	181075.30	207872.00	388947.30	207872.00	181075.30
9	RAYEAAY	2022-23	8500.00	0.00	8500.00	0.00	8500.00
		2023-24	8500.00	0.00	8500.00	0.00	8500.00
10	VKVNY	2022-23	247188.65	3628700.00	3875888.65	2784074.00	1091814.65
		2023-24	1091814.65	1408900.00	2500714.65	1974011.00	526703.65
11	SCSP	2022-23	29601.00	0.00	29601.00	0.00	29601.00
		2023-24	29601.00	0.00	29601.00	0.00	29601.00
12	RGSA	2022-23	300050.00	3543.00	303593.00	275805.61	27787.39
		2023-24	27787.39	0.00	27787.39	11087.00	16700.39
13	NRHM	2022-23	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
		2023-24	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
14	SDP	2022-23	12282.00	0.00	12282.00	0.00	12282.00
		2023-24	12282.00	0.00	12282.00	0.00	12282.00
16	13TH FC	2022-23	189540.00	0.00	189540.00	0.00	189540.00
		2023-24	189540.00	0.00	189540.00	11087.00	178453.00
17	14TH FC	2022-23	333071.00	94812.00	427883.00	189624.00	238259.00
		2023-24	238259.00	0.00	238259.00	0.00	238259.00
18	15TH FC	2022-23	2313014.00	1988480.80	4301494.80	878985.10	3422509.70
		2023-24	3422509.70	377665.00	3800174.70	993197.40	2806977.30
19	MNREGA	2022-23	0.00	1641487.16	1641487.16	1641487.16	0.00
		2023-24	0.00	1566480.46	1566480.46	1566480.46	0.00

(BALRAJ KUMAR)

सचिव
ग्राम पंचायत बाड़िया
विकास खण्ड धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र.)

परिशिष्ट "ग", पैरा सं० 4(ख) के सन्दर्भ में

कार्यालय ग्राम पंचायत बाड़ियाँ, विकास खण्ड धर्मपुर, ज़िला सोलन,हि०प्र०, पिन-173233

बैंक व रोकड़ बही अंतर

ग्राम पंचायत बाड़ियाँ के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष:-

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि / SF, 4TH SFC, RAYEAAY	जोगिंद्रा सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक	100734029000128	1188160.42
2	CRF, MMGPY, 4TH SFC, 5TH SFC, VKVNY, LDP, VMJS, MPLADS, IAY, SBM, SCSP, NRHM, SDP, 13TH FC, 14TH FC & सभा निधि / SF	पंजाब नेशनल बैंक, पटटा मेहलोग	2955000100008480	1850143.59
3	SBM	पंजाब नेशनल बैंक, पटटा मेहलोग	2955000100077121	0.00
4	CSC/RGSA	पंजाब नेशनल बैंक, पटटा मेहलोग	2955000100081799	24162.39
5	PMKSY	पंजाब नेशनल बैंक, पटटा मेहलोग	2955000100084130	5402.00
6	14वां वित्तायोग / 14FC	पंजाब नेशनल बैंक, पटटा मेहलोग	295500010077130	106156.76
7	15वां वित्तायोग / 15FC	पंजाब नेशनल बैंक, पटटा मेहलोग	2955000100077149	2913480.99
			जोड़	6087506.15
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 को अन्तशेष:-			6087506.15
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-			6075866.71
			अंतर :-	11639.44

(BALRAJ KUMAR)

सचिव
ग्राम पंचायत बाड़ियां
विकास खण्ड धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र.)

परिशिष्ट " घ ", पैरा संख्या " 8.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बाड़ियाँ स्वतः स्रोत से प्राप्त आय को बैक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹ 0.07 लाख के व्यय करने का विवरण

क्रम स.	वाउचर संख्या	दिनांक	रोकड़ व्यय जो बैंक के माध्यम से नही किया गया	राशि (₹)
1	OWN/2022-23/P/42	25.03.2023	Purchase of various office use	560
2	OWN/2023-24/P/30	29.03.2024	Purchase of Misc. Office expanse	620
3	OWN/2023-24/P/31	29.03.2024	Office expanse	900
4	OWN/2023-24/P/32	29.03.2024	Office expanse	1416
5	OWN/2023-24/P/36	30.03.2024	Office expanse	1200
6	OWN/2023-24/P/37	31.03.2024	Stationary bill	761
7	OWN/2023-24/P/38	31.03.2024	Stationary bill	700
8	OWN/2023-24/P/39	31.03.2024	Repair of office almirah	750
			कुल योग	6907

(BALRAJ KUMAR)
सचिव
ग्राम पंचायत बाड़िया
विकास खण्ड धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र.)
16/07/2024

परिशिष्ट " 5 ", पैरा संख्या " 8.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बाड़ियाँ द्वारा वित्त बर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 09/2022 व 06/2023 के निर्माण कार्यों ₹ 92.72 लाख राशि के से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, फण्ड ट्रान्सफर ऑर्डर व मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने की सूचि

क्रमाक	अनुदान	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	अनुदान राशि	अनुदान राशि प्रास
1	5TH SFC	निर्माण वर्षा शालिका कैंची मोड़ कासल	2020-21	100000	100000	100000
2	VKVNY	लिंकरोड़ भबौरी	2021-22	300000	300000	300000
3	VKVNY	मु0 लिंक रोड घ्यान से पपलोग	2021-22	35000	35000	35000
4	VKVNY	Add. Work of brigde vill dhardu	2020-21	200000	200000	180000
		C/o Brigde in river Dhardu	2021-22	350000	350000	320000
		C/ O Balance work at dhardu	2021-22	300000	300000	270000
		C/O Bridge Harijan basti dhardu	2021-22	250000	250000	225000
		C/O Bridge Harijan basti dhardu	2022-23	350000	350000	320000
5	SBM	निर्माण सामुदायिक शौचालय नजदीक बस स्टैंड पट्टा	2020-21	300000	300000	297000
6	15 TH FC	निर्माण बोवड़ी धारड़ु	2020-21	80000	80000	80000
7	15 TH FC	निर्माण बोवड़ी घ्याण	2020-21	70000	70000	70000
8	15 TH FC	निर्माण पूली खड़ली	2020-21	50000	50000	50000
9	15 TH FC	निर्माण गंदे पानी की निकासी पट्टा	2021-22	50000	50000	50000
10	15 TH FC	निर्माण सामुदायिक सौचालय नजदीक पट्टा बस स्टैंड	2020-21	100000	100000	100000
11	15 TH FC	निर्माण लिंक रोड गाँव चेयोग रमेश के घर के पास	2020-21	20000	20000	20000
12	15 TH FC	निर्माण वर्षा शालिका बाबे का झण्डा के नजदीक गाँव घ्यान	2020-21	80000	80000	80000
13	SBM	निर्माण गंदे पानी की निकासी पंजली बिट्टू के घर पंजली	2020-21	100000	100000	100000
14	VKVNY	निर्माण कमरा हाल GSSS SCHOOL पट्टा महलोग	2022-23	1300000	1300000	737000
15	MGNAREGA	विभिन्न निर्माण कार्य	2022-23			1166000
16	MGNAREGA	विभिन्न निर्माण कार्य	2023-24			4771506
					कुल राशी	9271506

(BALRAJ KUMAR)
सचिव
ग्राम पंचायत बाडिया
विकास खण्ड धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र.)

परिशिष्ट " ञ ", पैरा संख्या " 8.3 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत बाड़ियाँ द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के माह 09/2022 व 06/2023 में आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंटी पास (फार्म-एक्स) सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को राशी ₹ 0.56 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि

क्रमांक	शीर्ष	काम का ब्योरा	बा0 संख्या	आपूर्ति कर्ता	बिल स 0 /दिनांक	मद का नाम	मात्रा	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	Determining Factor	Qty MT	Royality (Per MT)	Due Royality
1	5TH SFC	निर्माण वर्षा शालिका कैंची मोड़ कासल	5THFC/2022-23/P/11 - 12.09.2022	RTC TRADERS	02/2223/05/00029 - 03.05.2022	Stone	1300	6.50	2.24	14.56	80	1164.80
2	SBM	निर्माण सामुदायिक शौचालय नजदीक बस स्टैंड पट्टा	SBM /2022-23/C/4 - 12.09.2022	RTC TRADERS	12 / 17.05.2022	Agg.	100	2.83	1.54	4.36	80	348.80
						Sand	300	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
						Agg.	300	8.50	1.54	13.09	80	1047.20
						Sand	300	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
3	15 TH FC	निर्माण वर्षा शालिका बाबे का झण्डा के नजदीक गाँव ध्यान	XVFC/2022-23/P/25 - 20.09.2022	RTC TRADERS	33 / 26.08.2022	Agg.	300	8.50	1.54	13.09	80	1047.20
						Sand	150	4.25	1.62	6.89	80	551.20
						Agg.	100	2.83	1.54	4.36	80	348.80
						Stone	500	2.50	2.24	5.6	80	448.00
4	15 TH FC	निर्माण बोवड़ी धारड़ू	XVFC/2022-23/P/29 - 29.09.2022	RTC TRADERS	19 / 04.07.2022	Sand	150	4.25	1.62	6.89	80	551.20
5	15 TH FC	निर्माण बोवड़ी ध्याण	XVFC/2022-23/P/30 - 29.09.2022	RTC TRADERS	20 / 05.07.2022	Stone	1000	5.00	2.24	11.2	80	896.00
6	15 TH FC	निर्माण बोवड़ी ध्याण	XVFC/2022-23/P/31 - 29.09.2022	RTC TRADERS	21 / 05.07.2022	Sand	150	4.25	1.62	6.89	80	551.20
7	15 TH FC	निर्माण बोवड़ी ध्याण	XVFC/2022-23/P/32 - 29.09.2022	RTC TRADERS	22 / 05.07.2023	Agg.	50	1.42	1.54	2.19	80	175.20
8	VKVNY	निर्माण कमरा हाल GSSS SCHOOL पट्टा महलोग	VKVNY/2023-24/P/7 - 05.06.2023	SURI & CO.	201 / 20.04.2023	Sand	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
				SURI & CO.	201 / 20.04.2023	Agg.	400	11.33	1.54	17.45	80	1396.00
9				SURI & CO.	204 / 20.04.2023	Sand	400	11.33	1.62	18.35	80	1468.00
				SURI & CO.	204 / 20.04.2023	Agg.	400	11.33	1.54	17.45	80	1396.00
10				SURI & CO.	205 / 20.04.2023	Sand	400	11.33	1.62	18.35	80	1468.00
				SURI & CO.	205 / 20.04.2023	Agg.	400	11.33	1.54	17.45	80	1396.00
11				SURI & CO.	210 / 20.04.2023	Agg.	400	11.33	1.54	17.45	80	1396.00
				SURI & CO.	210 / 20.04.2023	Sand	400	11.33	1.62	18.35	80	1468.00
12				SURI & CO.	211 /20.04.2023	Agg.	400	11.33	1.54	17.45	80	1396.00
				SURI & CO.	211 / 20.04.2023	Sand	400	11.33	1.62	18.35	80	1468.00
13	VKVNY	मु0 बोवड़ी गाँव बड़ेरी	VKVNY/2023-24/P/5 - 05.06.2023	RTC TRADERS	136 / 25.02.2023	Stone	700	3.50	2.24	7.84	80	627.20
14	VKVNY	निर्माण सामुदायिक केंद्र बड़ेरी	VKVNY/2023-24/P/6 - 05.06.2023	RTC TRADERS	135 / 25.02.2023	Sand	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
15	15THFC	निर्माण बोवड़ी धारड़ू	XVFC/2023-24/P/13 - 05.06.2023	RTC TRADERS	41 / 03.10.2023	Stone	300	1.50	2.24	3.36	80	268.80
						Stone	200	1.00	2.24	2.24	80	179.20
16	15THFC	निर्माण बोवड़ी धारड़ू	XVFC/2023-24/P/14 - 05.06.2024	RTC TRADERS	24 / 07.07.2022	Agg.	50	1.42	1.54	2.19	80	175.20

(RADHEY LAL)
ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत BADIAN
विकास खण्ड - धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र.)

(BALRAJ KUMAR)
सचिव
ग्राम पंचायत बाडिया
विकास खण्ड धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र.)

17	15THFC	निर्माण गंदे पानी की निकासी गाँव सकराला	XVFC/2023-24/P/19 - 05.06.2023	RTC TRADERS	121 / 02.06.2023	Sand	250	7.08	1.62	11.47	80	917.60
						Agg.	220	6.23	1.54	9.59	80	767.20
18	15THFC	निर्माण पक्का पाथ जोहड़ का हाड़ा नीचे घर तक	XVFC/2023-24/P/20 - 19.06.2023	RTC TRADERS	122 / 02.06.2023	Sand	275	7.79	1.62	12.62	80	1009.60
						Agg.	180	5.10	1.54	7.85	80	628.00
19	15THFC	निर्माण पक्का पाथ शमशानघाट बरागु	XVFC/2023-24/P/21 - 20/06/2023	RTC TRADERS	123 / 03.06.2023	Stone	1000	5.00	2.24	11.2	80	896.00
						Sand	150	4.25	1.62	6.89	80	551.20
20	15THFC	निर्माण पक्का पाथ शमशानघाट बूटाइला	XVFC/2023-24/P/22 - 04.06.2023	RTC TRADERS	124 / 03.06.2023	Stone	1000	5.00	2.24	11.2	80	896.00
						Sand	120	3.40	1.62	5.51	80	440.80
21	15THFC	निर्माण सामुदायिक शौचालय GSSS पट्टा महलोग	XVFC/2023-24/P/23 - 20/06/2023	RTC TRADERS	125 / 04.06.2023	Sand	230	6.51	1.62	10.55	80	844.00
						Agg.	50	1.42	1.54	2.19	80	175.20
						Agg.	350	9.91	1.54	15.26	80	1220.80
22	MGNAREGA	C/O DUNGA/CREATE WIRE VILL.MAJRA (1311001004/FP/80000966	NA / 20.06.2023	RTC TRADERS	10 / 15.05.2022	Sand	300	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
23			NA / 20.06.2023	RTC TRADERS	13 / 17.05.2022	Agg.	200	5.66	1.54	8.72	80	697.60
24	MGNAREGA	LAND DEV.HUKAM CHAND VILLAGE BHABHORI	NA / 20.06.2023	RTC TRADERS	09 / 14.05.2022	Stone	1417	7.09	2.24	15.88	80	1270.40
25	MGNAREGA	C/O COW SHED CHET RAM VILL.PAPLOG	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	01 / 13.05.2022	Sand	125	3.54	1.62	5.73	80	458.40
26	MGNAREGA	C/O R.W.H.TANK UMESH KUMAR KAUNTA	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	37 / 28.09.2022	Agg.	200	5.66	1.54	8.72	80	697.60
						Sand	270	7.65	1.62	12.39	80	991.20
27	MGNAREGA	C/O COW SHED PREM SINGH VILL.KOUTA	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	02 / 13.05.2022	Sand	150	4.25	1.62	6.89	80	551.20
28			NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	08 / 14.05.2022	Agg.	20	0.57	1.54	0.88	80	70.40
29	MGNAREGA	C/O RWHT NEK RAM S/O KIDU RAM VILL.BRAGU (1311001004/IF/32276960)	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	45 / 15.10.2022	Sand	250	7.08	1.62	11.47	80	917.60
						Agg.	150	4.25	1.54	6.55	80	524.00
30	MGNAREGA	C/O RETAINING WALL NEAR RAKESH GUPTA VILL.PATTA	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	44 / 14.10.2022	Sand	110	3.12	1.62	5.05	80	404.00
31	MGNAREGA	C/O TANK RAM CHAND VILL. MARIUN	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	124/ 17.02.2023	Sand	300	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
32			NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	125 /18.02.2023	Agg.	160	4.53	1.54	6.98	80	558.40
33	MGNAREGA	C/O DANGA SOHAN LAL VILL.KHALAG	NA / 20.06.2023	RTC TRADERS	56 / 23.12.2022	Sand	119	3.37	1.62	5.46	80	436.80
34	MGNAREGA	C/O CRATE WIRE/PUCCA PATH YOGRAJ TIKKAR JABBAL	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	54 / 21.12.2022	Stone	1000	5.00	2.24	11.2	80	896.00
			NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	55 / 22.12.2022	Sand	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
						Agg.	100	2.83	1.54	4.36	80	348.80
35	MGNAREGA	C/ORETAING WALL NEAR ANITA HOUSE VILL.PATTA	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	116 / 11.02.2022	Sand	34	0.96	1.62	1.56	80	124.80
											Total	45132.80
											Panelity @ 25 %	11283.20
											कुल राशी	56416.00

(RADHEY LAL)
ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत....BADIAN
विकास खण्ड - धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र.)

(BALRAJ KUMAR)
सचिव
ग्राम पंचायत बाडिया
विकास खण्ड धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र.

-30-

परिशिष्ट "ट" ", पैरा संख्या " 8.4 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बाड़ियाँ द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के माह 09/2022 व 06/2023 में ओप्चारिक्ताओं को पूरा किये बिना क्रय किये गये ₹ 14.05 लाख की सामग्री/स्टॉक की की सूची

क्र०सं०	कार्य का नाम	आपूर्तिकर्ता	वा0 सं ० / दिनांक	बिल सं ०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशी	टिप्पणी
			SBM						
1	नि० कार्य सामुदायिक शोचालय नजदीक बस स्टैंड पट्टा	RTC Traders	SBM/2022-23/P/2 - 12.09.2022	12 / 17.05.2022	Agg.	100	54	22995.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
					Sand	300	55		
2				07 / 14.05.2022	Agg.	300	55	17325.00	
3				11 / 16.05.2022	Sand	300	55	34335.00	
					Agg.	300	54		
4	नि० गंदे पानी की निकासी श्री बिट्टू के घर के पास गाँव पंजली	Jai Maa Ambay Enterprises	SBM/2023-24//C/1 - 21-06-	205 / 05.05.2021	Agg.	365	34.79	20640.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
					Sand	200	34.8		
			5TH SFC						
1	नि० कार्य वर्षा शालिका कैंची मोड़ कासल	RTC Traders	5THSFC/2022-23/P/11 - 12.09.2022	31 / 24.08.2022	Cut stone	1300	20	27300.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
			VKVNY						
1	नि० पुल्ली गाँव धाई	ESS KAY CHEMICAL, Parwanoo	VKVNY/2022-23/P/15	3321 / 20-09-2022	Angle channel	874 Kg	na	356340.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
					Coil Sheet Plate	2347.4	na		
					Angle channel	893.5	na		
					Welding Rods	60	na		
					Steel Cutting wheel 14"	25	na		
					Sheet Cutting wheel 4"	150	na		
2				3187 / 14.09.2022	Channels 100*50	7020 Kg	67.5	738180.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
					Channels 125*65	1980 Kg	68		
					Welding Rods	90 Kg	114		
					Steel Cutting wheel 14"	20	118.64		
					Steel Cutting wheel 4"	100	13		
3	निर्माण पंचायत घर पट्टा महलोग	DEEP ENTERPRISES	VKVNY/2023-24/P/1 - 21.06.2023	292 /13.03.2023	TILES	60	487.28	40609.00	बिना प्रस्ताव मे निविदाये अन्मन्त्रित करना व निविदाओं को प्रस्ताव रजिस्टर अंकित करना
					TILES	20	224.58		
					GI PIPE FITTING	4KG	144		
					WHITE CEMENT	5	101.7		
			15TH FC						
1	नि० कार्य सामुदायिक टॉयलेट नजदीक पट्टा बस स्टैंड	RTC Traders	XVFC/2022-23/P/21 - 20.09.2022	16 / 03.07.2022	Brick	4300	12	54180.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
2	नि० वर्ष शालिका नजदीक गुरु का झंडा गाँव धायण	RTC Traders	XVFC/2022-23/P/25 - 20.09.2022	33 / 26.08.2022	Sand	150	55	24832.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
					Agg.	100	54		
					Stone	500	20		
3	नि० कार्य बावडी धाई	Thakur Hardware Store	XVFC/2022-23/P/26 - 21.09.2022	3595 / 05.09.2022	Steel 10 mm	55	60	3540.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
4	नि० कार्य बावडी धायण	Thakur Hardware Store	XVFC/2022-23/P/26 - 21.09.2022	3533 / 16.08.2022	Steel 10 mm	55	62	4024.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई

(RADHEY LAL)
ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत BADIAN
विकास खण्ड - धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र.)

BALRAJ KUMAR
सचिव
ग्राम पंचायत बाड़ियां
विकास खण्ड धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र.)

-34- 36

5 नि० कार्य वावडी धार्ई	RTC Traders	XVFC/2022-23/P/28 - 29.09.2022	18 / 04.07.2022	Brick		600	12	7560.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
6 नि० कार्य वावडी धार्ई	RTC Traders	XVFC/2022-23/P/29 - 29.09.2022	19 / 04.07.2022	Sand		150	55	8662.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
7 नि० कार्य वावडी धायण	RTC Traders	XVFC/2022-23/P/30 - 29.09.2022	20 / 05.07.2022	Stone		1000	20	21000.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
8 नि० कार्य वावडी धायण	RTC Traders	XVFC/2022-23/P/31 - 29.09.2022	21 / 05.07.2022	Sand		150	55	8662.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
9 नि० कार्य वावडी धायण	RTC Traders	XVFC/2022-23/P/32 - 29.09.2022	22 / 05.07.2022	Agg.		50	54	2835.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
10 निर्माण पेयजल टैंकी वरागु	GUPTA HARDWARE STORE	XVFC/2023-24/P/12 - 05.06.2023	08101 / 24.03.203	MS TMT		150	54	9582.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
11 निर्माण बोवड़ी धारड़	XVFC/2023-24/P/14 - 05.06.2023	RTC TRADERS	24 / 07.07.2022	Agg.		50	54	2835.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
		MGNAGERA							
1 C/O DUNGA/CREATE WIRE VILL.MAJRA	NA / 20.06.2023	RTC TRADERS	10 / 15.05.2022	Sand		300	55	17350.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
	NA / 20.06.2023	RTC TRADERS	13 / 17.05.2022	Agg.		200	55	11340.00	
	NA / 21.06.2023	M/s Thakur Trading	1513 / 17.07.2022	Sariya 8mm		100	60	13799.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
				Sariya 10mm		96.5	59		
2 LAND DEV.HUKAM CHAND VILLAGE BHABHORI	NA / 20.06.2023	RTC TRADERS	09 / 14.05.2022	Stone		1417	20	29757.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
3 C/O COW SHED CHET RAM VILL.PAPLOG	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	01 / 13.05.2022	Sand		125	55	7219.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
4 C/O R.W.H.TANK UMESH KUMAR KAUNTA WARLA	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	37 / 28.09.2022	Agg.		200	54	26932.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
				Sand		270	55		
5	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	38 / 28-09-2022	Sariya		231	57	15537.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
6 C/O COW SHED PREM SINGH VILL.KOUTA PARLA	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	02 / 13.05.2022	Sand		150	55	8662.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
7	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	08 / 14.05.2022	Agg.		20	54	1134.00	
8 C/O RWHT NEK RAM S/O KIDU RAM VILL.BRAGU	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	118 / 13.02.2023	Steel		65	54	4142.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गई
9	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	45 / 15.10.2022	Sand		250	55	22942.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
				Agg.		150	54		
10 C/O RETAINING WALL NEAR RAKESH GUPTA VILL.PATTA	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	44 / 14.10.2022	Sand		110	55	6352.50	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
11 C/O TANK RAM CHAND VILL. MARIUN	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	124 / 17.02.2023	Sand		300	55	17325.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
12	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	125 /18.02.2023	Agg.		160	54	9072.00	
13 C/O DANGA SOHAN LAL VILL.KHALAG	NA / 20.06.2023	RTC TRADERS	56 / 23.12.2022	Sand		119	55	6545.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
14	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	26 / 22.06.2023	Cement Carriage		157	55	8635.00	केवल एक निवीदा प्रस्तुत की गई
15 C/O CRATE WIRE/PUCCA PATH.YOGRAJ TIKKAR JABBAL	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	54 / 21.12.2022	Stone		1000	20	21000.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
15	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	55 / 22.12.2022	Sand		200	55	17220.00	
				Agg.		100	54		
17 C/ORETAING WALL NEAR ANITA HOUSE VILL.PATTA	NA / 22.06.2023	RTC TRADERS	116 / 11.02.2022	Sand		34	55	1963.50	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
							कुल राशी	1405436.00	

(RADHEY LAL)
ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत BADIAN
विकास खण्ड - धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र.)

(BALRAJ KUMAR)
सचिव
ग्राम पंचायत बाड़िया
विकास खण्ड धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र.)

परिशिष्ट "ज", पैरा संख्या "8.588.6" के सन्दर्भ में

(क) ग्राम पंचायत बाड़ियाँ द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 केवल चयनित माह 09/2022 व 06/2023 के अंकेक्षण में वोउचरों की जाँच में पाया की निविदा में अंकित दर से अधिक दर से ₹ 0.01 लाख का अनियमित किया गया जिसकी सूची से प्रकार से है

शीर्ष	कार्य का नाम	आपूर्तिकर्ता	वा0 सं ० / दिनांक	बिल सं ०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	निविदा में अंकित दर प्रति इकाई	अदा राशि मूल राशी प्रति इकाई	अदा राशि मूल राशी	अदा की गई TAX की राशी	अदा की गई राशि (₹)	निविदा अनुसार भुगतान की जाने योग्य राशि (₹) (मूल राशी + 5% GST)	अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
1	नि० कार्य सामुदायिक शोचालय नजदीक बस स्टैंड पट्टा	RTC Traders	SBM/2022-23/P/2 - 12.09.2022	07 / 14.05.2022	Agg.	300	54	55	16500	825	17325.00	17010	315.00
2	C/O CRATE WIRE/PUCCA PATH YOGRAJ TIKKAR JABBAL (1311001004/RC/8000129342)	RTC Traders	MGNAREGA/ NA / 22.06.2023	26 / 25.06.2022	Cement Carriage	157	50	55	8635	0	8635.00	7850	785.00
												राशी	1100.00

(ख) ग्राम पंचायत बाड़ियाँ द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 केवल चयनित माह 09/2022 व 06/2023 के अंकेक्षण में वोउचरों की जाँच में पाया की एक बिल का भुगतान आपूर्तिकर्ता को दो बार किया गया है जिसकी कारण ₹ 0.27 लाख का अनियमित किया गया जिसकी सूची से प्रकार से है

अनुदान	क्रम संख्या	रोकड़ बही वॉचर संख्या /दिनांक	बिल संख्या / दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	भुगतान की गई राशी	टिप्पणी
15 वाँ वित्त आयोग	1	XVFC/2023-24/P/ 15 – 19.06.2023	121 09/06/2023	RTC Traders	27142	एक बिल का दो बार अनियमित भुगतान करना
	2	XVFC/2023- 24/P/ 19 –19.06.2023	121 09/06/2023	RTC Traders	27142	
				अधिक भुगतान की राशी	27142	

(BALRAJ KUMAR)
सचिव
ग्राम पंचायत बाड़िया
विकास खण्ड धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र

Clt Varca Fatta Het Ram ke Ghar Tak

GSTIN : 02AVMPT8505C2ZM

GST INVOICE

M.: 96251-43000

RTC TRADERS

Original for Recipient
Duplicate for Supplier/Transporter

Deals In : Sand (Reta), Bajri, Bricks, Sariya & All Kinds Of Building Material

NEAR LOWER BAZZAR, SHOP NO. 1, VILL. PATTA, P.O. PATTA, SOLAN (H.P.) 173233

E-mail : tarunsinghchaudhary@gmail.com

Invoice No. : 121	Transportation Mode :
Invoice date : 02-06-2023	P.O. No. :
Vehicle No.:	Date of Supply :
State : Himachal Pradesh Code 02	Place of Supply :

Details of Receiver / Billed to :	Details of Consignee / Shipped to :
Name : Gram Panchayat	Name :
Address : Barian	Address :
GSTIN :	GSTIN :
State : Code	State : Code

S. No.	PRODUCT DESCRIPTION	HSN Code	Qty.	Rate	Taxable Value
	Send MDM 177		250 fot	55/-	13750
	Aggrigate MDM 177		220 fot	55/-	12100

प्रधान (रन्जनी देवी)
ग्राम पंचायत बाडियां
वि. ख. धर्मपुर (हि.प्र)
मो. न. 78760 26108

Paid vide PFMS / Deller 19/06/2023

Total Invoice amount in words

Rs. Twenty Seven Thousand one hundred Forty Two only

Total Amount before Tax :	25850
Add: CGST :	646
Add: SGST :	646
Add: IGST :	
TCS on Sale :	
Total Tax Amount :	
Total Amount after Tax: :	27142

Bank Detail: PUNJAB NATIONAL BANK, PATTA
Bank A/c : 2955002100002642
Bank IFSC : PUNB0295500

Terms & Conditions

Interest @15% per annum will be charged after due dates.
Goods once sold will not be taken back.
All Disputes are subject to Nalagarh Jurisdiction only.

Credit Days : ....

For RTC TRADERS

Tarun

Authorised Signatory

39 - 38

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट " झ ", पैरा संख्या " 9.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बाड़ियाँ द्वारा बिना मूल बिलों के ₹ 0.18 लाख की सामग्री के भुगतान की सूची जिसका एक वर्ष के उपरान्त भी समायोजन नहीं किया गया है

अनुदान	क्रम संख्या	रोकड़ बही वॉचर संख्या / दिनांक	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	मात्रा	आपूर्तिकर्ता	राशी	टिप्पणी
15TH FC	1	XVFC/2023-24/P/16 - 19.06.2023	NA	Cement	18 Beg	HPSCSC LTD	6356	बिना मूल बिल के अग्रीम भुगतान करना व भुगतान की गई राशी का एक वर्ष के उपरान्त भी समायोजन नही करना
15TH FC	2	XVFC/2023-24/P/17 - 19.06.2023	NA	Cement	22 Beg	HPSCSC LTD	7768	
15TH FC	3	XVFC/2023-24/P/18 - 19.06.2023	NA	Cement	12 Beg	HPSCSC LTD	4237	
						कुल राशी	**18361**	

(BALRAJ KUMAR)
सचिव
ग्राम पंचायत बाड़ियां
विकास खण्ड धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र.)

39

परिशिष्ट "ञ", पैरा संख्या "1.1" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बाड़ियाँ द्वारा क्रय किये गये ₹ 0.90 लाख कीसामग्री की सूची जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं० / दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	भुगतान की गई राशी gst सहित
1	HPSCSC LTD	XVFC/2023-24/P/16 -	NA	Cement Bag	18	353.1	6356.00
2	HPSCSC LTD	XVFC/2023-24/P/17-19.06.2024	NA	Cement Bag	22	353	7768.00
3	HPSCSC LTD	XVFC/2023-24/P/18-19.06.2024	NA	Cement Bag	12	353	4237.00
4	HPSCSC LTD	NA/21.06.2023	CS038-23-0450684 / 02.03.2023	Cement Bag	200	356.6	71326.00
						कुल	89687

ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत BADIAN.
विकास खण्ड - धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र.)

(BALRAJ KUMAR)
सचिव
ग्राम पंचायत बाड़िया
विकास खण्ड धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र.)

-86- 40

परिशिष्ट " ट ", पैरा संख्या " 12 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बाड़ियाँ द्वारा वित बर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 09/2022 के वोउचरों में स्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.11 लाख की वसूली न करने की सूची

कार्य का नाम	आपूर्तिकर्ता	वा0 सं ० / दिनांक	बिल सं ०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	भुगतान की गई राशी (₹)	कटौती की दर	स्रोत पर कर की राशी (₹)
नि० पुल्ली गाँव धाड़ू	ESS KAY CHEMICAL, Parwanoo	VKVNY/2022-23/P/15	3321 / 20-09-2022	Angle channel	874 Kg	na	356340.00	1%	3563.40
				Coil Sheet Plate	2347.4	na			
				Angle channel	893.5	na			
				Welding Rods	60	na			
				Steel Cutting wheel 14"	25	na			
				Sheet Cutting wheel 4"	150	na			
			3187 / 14.09.2022	Channels 100*50	7020 Kg	67.5	738180.00	1%	7381.80
				Channels 125*65	1980 Kg	68			
				Welding Rods	90 Kg	114			
				Steel Cutting wheel 14"	20	119			
				Steel Cutting wheel 4"	100	13			
								कुल राशी	10945.20

(BALRAJ KUMAR)
सचिव
ग्राम पंचायत बाडिया
विकास खण्ड धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र.)

-37- 41

परिशिष्ट " ङ ", पैरा संख्या " 12.1 " के सन्दर्भ में

(क) ग्राम पंचायत बाड़ियाँ द्वारा वित्त बर्ष 2022-23 व 2023-24 में विवाह पंजीकरण शुल्क की कम बसूली गई ₹1549/- राशी का सूचि

क्रमांक स०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग राशि	वसूली की गई राशि	वसूली योग्य शेष राशी	रशीद संख्या	रशीद दिनांक
1	अमर चंद	10.02.2022	12.04.2022	400	200	200	10579	02.04.2022
2	रमेश कुमार	20.04.2022	20.05.2022	400	200	200	11001	20.05.2022
3	कपिल देव	04.08.2022	15.09.2022	400	200	200	11629	15.09.2022
4	नरदेव शर्मा	04.12.2022	31.01.2023	400	200	200	11054	07.02.2023
5	विरेन्द्र कुमार	10.02.2023	15.03.2023	400	200	200	11640	01.04.2023
6	नरेश कुमार	08.08.2020	27.07.2023	400	51	349	11642	27.07.2023
7	बाल कृशन	23.06.2023	03.08.2023	400	200	200	11086	03.08.2023
			कुल राशी	2800	1251	1549		

(ख) ग्राम पंचायत बाड़ियाँ द्वारा वित्त बर्ष 2022-23 व 2023-24 में विवाह पंजीकरण शुल्क ₹ 2200 की राशी की वसूली ना करने की सूचि

क्रमांक स०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग राशि	वसूली की गई राशि	वसूली योग्य शेष राशी
1	आकाश सूद	17.05.2022	07.06.2022	200	0	200
2	नरेंद्र पाल	27.07.2022	27.07.2022	200	0	200
3	पवन कुमार	27.07.2022	27.07.2022	200	0	200
4	विजेंद्र सिंह	10.08.2022	15.10.2022	400	0	400
5	प्रविन्दर कुमार	09.03.2023	21.04.2023	400	0	400
6	शुभम शर्मा	29.11.2023	18.12.2023	200	0	200
7	पुष्पेंद्र ठाकुर	17.02.2024	11.03.2024	200	0	200
8	प्रडजवत गुप्ता	06.02.2024	20.03.2024	400	0	400
			राशी	2200	0	2200

कुल राशी (क + ख)	3749

(BALRAJ KUMAR)

सचिव
ग्राम पंचायत बाड़िया
विकास खण्ड धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र.

परिशिष्ट " ड ", पैरा संख्या " 13.3 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बाड़ियाँ द्वारा वित्त बर्ष 2022-23 व 2023-24 में वसूले गए विवाह पंजीकरण शुल्क ₹ 2301.00 का इंदराज रोकड़ बही में नहीं करने की सूचि

क्रमांक स०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग राशि	वसूली की गई राशि	रोकड़ बही पृष्ट संख्या
1	रमेश कुमार	20.04.2022	20.05.2022	400	200	इन्द्रज नही की गई है
2	कपिल देव	04.08.2022	15.09.2022	400	200	इन्द्रज नही की गई है
3	राकेश कुमार	10.12.2022	04.01.2023	50	50	इन्द्रज नही की गई है
4	हर्ष कुमार	04.01.2023	28.01.2023	200	200	इन्द्रज नही की गई है
5	नरदेव शर्मा	04.12.2022	31.01.2023	400	200	इन्द्रज नही की गई है
6	विरेन्द्र कुमार	10.02.2023	15.03.2023	400	200	इन्द्रज नही की गई है
7	गौरव	13.03.2023	20.03.2023	200	200	इन्द्रज नही की गई है
8	बाल कृशन	23.06.2023	03.08.2023	400	200	इन्द्रज नही की गई है
9	निर्मल सिंह	29.09.2023	20.10.2023	200	200	इन्द्रज नही की गई है
10	पंकज कुमार	28.11.2023	18.12.2023	51	51	इन्द्रज नही की गई है
11	श्याम लाल	08.12.2023	30.12.2023	200	200	इन्द्रज नही की गई है
12	शिव कुमार	05.03.2024	11.03.2024	200	200	इन्द्रज नही की गई है
13	भूर्पिंद्र सिंह	05.03.2024	11.03.2024	200	200	इन्द्रज नही की गई है
			कुल राशी	3301	2301	

(BALRAJ KUMAR)

सचिव
ग्राम पंचायत बाड़िया
विकास खण्ड धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र.)